

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या- एफ0पी0/यू0पी0/अन्य/31275/2018

1.	परियोजना विवरण	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग सं0- 62 पी0ए0 के चैनेज 14.346 से 14.381 बायीं पटरी पर ग्राम-चरखौला, तहसील बीसलपुर, जिला-पीलीभीत के गाटा संख्या- 568 में पेट्रोल पम्प/ रिटेल आउटलेट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के सफल संचालन के लिए पेट्रोल पम्प / रिटेल आउटलेट के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत कुल 0.114123 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 01 वृक्ष के पातन की अनुमति।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	पीलीभीत
(iii)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है0 में)	0.114123 है0 (संरक्षित वन भूमि)
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि पर पी0डब्लू0डी0 का स्वामित्व है।
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0/ एफ0आर0 एफ0-2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किया जाये।	प्रभावित वृक्षों का विवरण संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	पेट्रोल पम्प / रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल पर भूक्षरण की सम्भावना नहीं है। कार्य योजना में भी इस स्थान पर भूक्षरण सम्बन्धी कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	6.61 किमी0
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव-मण्डल रिजर्व, वाघ रिजर्व आदि का भाग है। (यदि हो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाये)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजीव की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। (यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा दें)	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातवीय / पारस्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है (यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें)	नहीं
2	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के	हाँ

	ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	
3	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं
4	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अविक्रमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भूखण्ड का आकार	प्रभाग अन्तर्गत पूरनपुर रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र गोपालपुर कक्ष-4 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अविक्रमित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
(iii)	प्रतिपूरक रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची, लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभी निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)	संलग्न है।
5	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता कालम-7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
6	विभाग / जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	368600 हे०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	80009 हे०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाये गये कुल वन क्षेत्र	22 मामले (5 पीलीभीत टाईगर रिजर्व + 17 वन एवं वन्यजीव प्रभाग पीलीभीत) 55.272004 हे० (34.846 हे० पीलीभीत टाईगर रिजर्व + 20.426004 हे० वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत)
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	84.344 हे० (74.254 हे० पीलीभीत टाईगर रिजर्व + 10.09 हे० वन एवं वन्यजीव प्रभाग पीलीभीत)
क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	82.702 हे० (72.612 हे० पीलीभीत टाईगर रिजर्व + 10.09 हे० वन एवं वन्यजीव प्रभाग पीलीभीत)
ख	वनेत्तर भूमि	1.642 हे० (पीलीभीत टाईगर रिजर्व पीलीभीत)
(v)	अब तक वनीकरण में हुई प्रगति	84.994 हे० (73.214 हे० पीलीभीत टाईगर रिजर्व + 11.78 हे० वन एवं वन्यजीव प्रभाग पीलीभीत)
क	वन भूमि	83.352 हे० (71.572 हे० पीलीभीत टाईगर रिजर्व + 11.78 हे० वन एवं वन्यजीव प्रभाग पीलीभीत)
ख	वनेत्तर भूमि पर	1.642 हे० (पीलीभीत टाईगर रिजर्व पीलीभीत)
7	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	जनहित में विकास कार्य हेतु प्रस्ताव के स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

Sanjeev Kumar
(संजीव कुमार)

प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0प्रभाग, पीलीभीत